



निविदा फार्म-विपणन अनुभाग (तकनीकी बोली)

फार्म संख्या-

निविदा प्रपत्र मूल्य:- ₹1000.00 (एक हजार) (समस्त कर सहित)



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांकों की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :-
 2. निविदादाता का नाम :-
 3. आधार कार्ड संख्या -(छायाप्रति संलग्न करें)
 4. पिता/पति का नाम :-
 5. स्थायी पता (अनिवार्य):-
 6. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):-
 7. दूरभाष संख्या (अनिवार्य) :-
 8. जी.एस.टी. संख्या (निविदा शर्त सं०-7 के अनुरूप) :-
 9. जमा अर्नेस्ट मनी विवरण-बैंक का नाम
ड्राफ्ट संख्या धनराशि दिनांक
नकद जमा धनराशि-..... रसीद संख्या दिनांक
 10. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ आई०डी०प्रूफ के रूप में (डी०एल०/आधार कार्ड आदि) में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें।
 11. अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)-.....
 12. वाहन के प्रपत्रों की वैधता विवरण (निविदा शर्त सं०-5 के अनुरूप) -
(i) आर०सी० वैधता तिथि -
(ii) परमिट वैधता तिथि -
(iii) फिटनेस वैधता तिथि -
(iv) रोड टैक्स वैधता तिथि -
(v) बीमा वैधता तिथि -
(vi) प्रदूषण वैधता तिथि -
(क) वाहन का प्रकार :- माडल वर्ष-.....
(ख) वाहन पंजीकरण संख्या :- पंजीकरण तिथि :-
(ग) वाहन स्वामी का नाम :-
- संलग्नक-आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त।

स्वहस्ताक्षरित
फोटो चस्पा करें

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा नाम:-

पता :-

मोबाईल नं-.....



फार्म संख्या— निविदा फार्म—विपणन अनुभाग (वित्तीय बोली)



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ—साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :-
2. निविदादाता का नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता (अनिवार्य):-
5. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):-
6. वाहन के किराये की दरें दूध, दही छाछ एवं मटठा प्रति लीटर /किग्रा० कमीशन (अंको व शब्दों में):-
अ— (दूध की दरें) अंकों में :- ₹ शब्दों में :- ₹
ब— (दुग्ध उत्पाद की दरें) अंकों में :- ₹ शब्दों में :- ₹
8. प्रति लीटर दुग्ध बिक्री के आधार पर भरी जाने वाली निविदादाताओं हेतु मान्य :-दुग्ध पदार्थों जैसे—(घी, मक्खन, पनीर, क्रीम, छैना खीर, खोआ एवं फ्लेवर्ड मिल्क) आदि का भुगतान दुध की दरो पर देय होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा नाम:-

पता :-

मोबाईल नं—.....

आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें

1. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा। एक वाहन के प्रपत्र से एक से अधिक मार्गों की निविदाओं के साथ वाहन के प्रपत्र लगाने पर सम्बंधित मार्गों की निविदाओं को निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
2. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में “विपणन परिवहन हेतु निविदा, “मार्ग का नाम” एवं निविदादाता का नाम” व “पता” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। स्व-हस्ताक्षरित रंगीन फोटो निविदा फार्म में लगाना अनिवार्य है।
3. समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल को वरीयता दी जायेगी।
4. निविदा, प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के नाम से निविदा पेट्री के माध्यम से दिनांक 27.09.2024 को निविदाएं अपराहन 01.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनांक 27.09.2024 को अपराहन 01.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेंगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
5. वाहन का मॉडल वर्ष जनवरी, 2012 से कम नहीं होना चाहिये। निविदा फार्म के साथ वाहन के समस्त प्रपत्र स्व-प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा जो निविदा खुलने की तिथि को अनिवार्य रूप से वैध होनी चाहिए। निविदा फार्म के साथ वाहन के प्रपत्रों के स्थान पर किसी भी प्रकार के अन्य प्रमाणक जैसे-अप्लाइड फोर/पावर आफ अटार्नी/ पथ पत्र/विक्रय पत्र एवं वाहन से सम्बंधित कम्पनी का कोटेशन मान्य नहीं होंगे।
6. वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिये। निविदा स्वीकृत होने के उपरांत बुलाये जाने पर निविदादाता को वाहन के समस्त मूल वैध प्रपत्रों के साथ निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा, तदोपरांत की कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निविदादाता को अनिवार्य रूप से वाहन सहित मुख्य कार्यालय खटीमा, अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर, में उपस्थित होना होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा पैन कार्ड, बैंक खाते नम्बर, FSSAI एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स इत्यादि की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
8. प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। ₹ 5,000.00 (पांच हजार) रूपया बतौर अर्नेस्ट मनी नकद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक, एफ.डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।
9. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बंधित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेंगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकारोपरान्त किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि को हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी। यदि निविदादाता द्वारा अनुबंधावधि में अनुबंधित वाहन को हस्तारित/बिक्री किया जाता है तब जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
11. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं संशोधित 2019 के अधीन होगा।
12. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बंधित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तों को भलि-भौति पढ़कर हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्थायी पता (मोबाईल संख्या) सहित निविदा फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।
13. यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईट www.ucdfaanchal.org से निविदा डाउनलोड की जा सकती है। निविदा फार्म की जमा धनराशि ₹1000.00 की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
14. संस्था के विपणन अनुभाग के पूर्व/वर्तमान परिवहनकताओं को निविदा प्रपत्र के साथ अदेयता प्रमाण-पत्र सहायक प्रबन्धक लेखा से प्राप्त कर संलग्न करना होगा, अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. छोटे वाहन (3.0 टन तक) के लिये ₹40.00 (चालीस) रूपया प्रति ट्रिप लोडर चार्ज पृथक से देय होगा, ड्राईवर एवं लोडर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।

16. जिस मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जाना होगा, ऐसे मार्गों पर **कैश कलेक्शन चार्ज ₹3.00** (तीन) रूपया प्रति हजार की दर से देय होगा। कैश कलेक्शन की धनराशि पूर्ण रूप से दुग्ध धनराशि जमा करने पर ही देय होगी। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की शत-प्रतिशत वसूली का दायित्व निविदादाता का होगा तथा इस हेतु वह वैधानिक रूप से भी उत्तरदायी होगा तथा किसी भी परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही (**आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं वाहन हटाने**) का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. जिस मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन मार्गों पर कार्यरत निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार में तदतिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।
18. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के **वारदाना** (केन अथवा क्रेट) को एक/दोनों पालियों में पूर्ण रूप से वापस करने का दायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दशा में कटौती मासिक रूप से सम्बन्धित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तदोपरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।
19. यह कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को अपने वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दुग्धशाला में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी।
20. यह कि दुग्ध पदार्थों को धूप से बचाने हेतु निविदादाता को अपनी **वाहन में फाईबर/मोटे कपड़े का तिरपाल** लगाना होगा। वाहन में तिरपाल न लगाये जाने पर **अर्थिक दण्ड ₹100** (एक सौ) रूपया प्रतिदिन डाला जा सकता है।
21. प्रत्येक वाहन के लिये **चालक/परिचालक** की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।
22. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ **₹100** (एक सौ) मूल्य के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
23. निविदा फार्म में ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों में किसी प्रकार की ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी।
24. **अनुबन्ध की अवधि 01** (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरान्त संस्था एवं निविदादाता की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि तीन-तीन माह हेतु दो बार (अधिकतम **06** माह) बढ़ायी जा सकती है।
25. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ (चालक एवं परिचालक) का ई.पी.एफ. नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।
26. सरकार द्वारा वाहन पर लगाये जाने वाले समस्त कर आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा, इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा सरकार द्वारा जारी किए गए परिवहन से सम्बंधित आदेशों का परिपालन करने हेतु बाध्य होंगे।
27. **विपणन मार्गों पर लगने वाले कर** आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
28. निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेख किए गये वाहन का ही संचालन करना होगा। विशेष परिस्थितियों में सर्विसिंग, मरम्मत आदि कार्यों के कारण यदि दूसरा वाहन भेजा जाना आवश्यक होता है तो इसकी स्वीकृति प्रधान प्रबन्धक से लेनी होगी। जिसकी अवधि अधिकतम एक सप्ताह होगी।
29. संस्था द्वारा निविदादाता को ऑचल दुग्ध विक्रेताओं को उनकी मॉगानुसार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन करना होगा। वाहन क्षमता से अधिक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की माँग होने पर अतिरिक्त चक्कर लगाकर/स्वयं के संसाधनों से दुग्ध आपूर्ति करनी होगी।
30. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
31. वाहन को संस्था के विपणन मार्ग में कहीं भी लगाया जा सकता है। संस्था को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर बिना कारण बताये **15** दिन के नोटिस पर वाहन को हटाया जा सकता है।

32. निविदादाता से लिकेज दुग्ध की वापसी स्वीकार नहीं की जायेगी जिस पर आपूर्ति की गयी दुग्ध मात्रा प्रति क्रेट पर मु0 1.00 रु0 देय होगा । विशेष परिस्थिति मे ही बंद पैकेटों में (अनसोल्ड मिल्क) दूध वापसी प्रधान प्रबंधक की स्वीकृति उपरान्त स्वीकार की जा सकेगी।
33. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत दो दिन की दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत के बराबर **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में नकद जमा करानी होगी।
34. निविदादाता द्वारा न्यूनतम क्षमता के वाहन से अधिक क्षमता के वाहन लगाने पर संकरी गलियों में एजेंटों को अपने व्यय पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को पहुँचाने होंगे, जिसका संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। ऐसा न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
35. कमीशन के आधार पर संचालित वाहन को उनके मार्ग पर पड़ने वाले आर्मी/संस्थाओं/होटलों आदि का दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के ढुलान का भुगतान उनकी सफल निविदा कमीशन स्वीकृत दरों पर आदेशानुसार भुगतान किया जायेगा।
36. वाहन प्रपत्रों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, गलत सूचना सिद्ध होने पर निविदा निरस्त व अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
37. निविदादाता **सरकार द्वारा निर्धारित नियमों** का पालन करने जैसे- वाहन की ढुलान क्षमता अनुसार वाहन का संचालन, वाहन के प्रपत्रों के नवीनीकरण आदि हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
38. यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत् परिभाषित किया गया है-

नियम संख्या 2(ग) :-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (**custody**) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

38. निविदा में तकनीकी बोली (Technical Bid) की शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत ही (वित्तीय बोली) Financial Bid का लिफाफा खोला जायेगा।
39. ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) को FSSAI से सम्बंधित नियम और विनियमन का परिपालन करना पड़ेगा जो की FSSAI Act 2006 के नियमानुसार लागू होगा।
40. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर संस्था को FSSAI एवं GST का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
41. संस्था द्वारा ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) का समय-समय में कार्य का मूल्यांकन (इवेलुएट) किया जायेगा यद्यपि ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) का कार्य असंतुष्ट पाये जाने के मामले में संस्था ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) को बर्खास्त, समाप्त और कॉन्ट्रैक्ट रोकने करने का अधिकार रखती है।
42. ट्रांसपोर्टर (निविदादाता) को प्रतिदिन माल ले जाते समय कन्साइनमेंट नोट डेरी में देना होगा और प्रतिदिन अपनी अकाउंट सेल माल वापसी करते समय डेरी में देना होगा।
43. निविदादाता को फास टैग प्रणाली के अनुसार ही टॉल टैक्स का भुगतान देय होगा।
44. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता को अनुबंधित वाहन पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु जी0आई0शीट पर फ्लैक्सी संस्था द्वारा लगायी जायेगी, जिसका वास्तविक भुगतान परिवहनकर्ता से दो किस्तों में काटा जायेगा, जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगा।
45. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं0 1542/vII-3-19/143-उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

46. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित होगा।
47. किसी भी प्रकार के विवाद में निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
- नोट—उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य भातों को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों एवं भातों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि-भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की भातों एवं निर्देशों के अनुसार अपना वाहन ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ।

उपयुक्त प्रविष्टियों मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा पता:—

.....

.....

मोबाईल नम्बर—.....

रुधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा
विवरण चार्ट

(विपणन अनुभाग में वाहनों की आवश्यकता का विवरण)

क्र.सं.	मार्ग का नाम	पली	वाहन का प्रकार	अनुमानित दुग्ध ढुलान (लीटर में)	अनुमानित दूरी (किमी०में)	अधिकतम् कमीशन दर (₹प्रति ली०में)		
						दूध	दही / kg	छाछ एवं मठठा
1.	खटीमा पीलीभीत मार्ग	प्रातः	टाटा ए०सी०ई० / समकक्ष	700	106	₹2.20	₹0.80	₹0.50
क्र.सं.	मार्ग का नाम	पली	वाहन का प्रकार	अनुमानित दुग्ध ढुलान (लीटर में)	अनुमानित दूरी (किमी०में)	अधिकतम् कमीशन दर (₹प्रति ली०में)		
2.	खटीमा लोकल ए०टी०एम	प्रातः / सांय	टाटा ए०सी०ई० / समकक्ष	565	30	₹1.50	-	-

नोट— मार्ग की अनुमानित दुग्ध मात्रा केवल प्रतीकात्मक है भविष्य में निविदादाता के मार्ग की दुग्ध मात्रा घटने पर संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

रुधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा

क्र.	मार्ग का नाम	विपणन मार्गों का अनुमानित रोडमैप
1.	रुद्रपुर-3	अवशीतन केन्द्र से सिडकुल आर०जे०,नेशले,लुकाश,आटोलाईन,रिद्वीसिद्धी, परफेरी, इन्टासबिनार्द,ज्वैलरी,वाच,कासा लाईट,पारले,डाबरसे ओबीटी,से राकलेण्ड।
2.	रुद्रपुर-4	अवशीतन केन्द्र मइली मार्केट,श्याम टाकीज,पी०ए०सी से आवास विकास,अटरिया रोड से पार्लर से आमेक्स से मेट्रोपोलीस से विकास भवन से अवशीतन केन्द्र वापस।
3.	रुद्रपुर-5	अवशीतन केन्द्र से बालाजी द्वार से गुप्ता समोसा से बंगाली कालौनी से वापस अवशीतन केन्द्र।
4.	रुद्रपुर -6	अवशीतन केन्द्र मलिक कालौनी,,ईश्वर कालौनी,वैशाली कालौनी,आर्दश कालौनी,सिंह कालौनी,मलीक 1-11 तक से शान्ती बिहार से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
5.	रुद्रपुर लोकल- V मार्ग	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से आदर्श कालौनी से इन्द्रा कालौनी से बंगाली कालौनी से गली नं०-1, 2, 3, 4, 5 से थापर कालौनी से सिंह कालौनी से मलिक कालौनी से ईश्वर कालौनी से घासमण्डी से जनता इण्टर कालेज से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
6.	रुद्रपुर- VII लोकल मार्ग	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से ग्रीन पार्क से नवोदय से प्रीत विहार से सुभाष कालौनी से गाँधी कालौनी से भूत बंगला से पहाड़गंज से प्रीत विहार से सोवती कालौनी से ग्रीन पार्क से सामिया से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
7.	रुद्रपुर- IX लोकल मार्ग	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से मॉडल कालौनी से एलाईन्स से शारदा कालौनी से शांती विहार से भूरानी से धरमपुर से छतरपुर से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
8.	रुद्रपुर-गूलरभोज मार्ग	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से जयनगर से काली नगर से दिनेशपुर रोड से चक्की मोड़ से बंगाली नगर से विजयनगर नेताजीनगर से गूलरभोज से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
9.	रुद्रपुर -ट्रांजिट कैम्प- I मार्ग	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से मुक्तिधाम से खेड़ा संजय नगर से गोल मडैया से शिवनगर से ट्रांजिट कैम्प से शिमला बहादुर से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
10.	रुद्रपुर -ट्रांजिट कैम्प- II मार्ग	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से दरियानगर से खेड़ा से संजयनगर से पशुआहार से कुमार आटो गंगापुर रोड से शिवपुरम् कालौनी से तीन पानी डेम से फुलसुंगा से फुलसुंगी से रामेश्वरपुर से दक्ष चौराहा से बगवाड़ा से कौशल्या से वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
11.	रुद्रपुर-पंतनगर-शांतिपुरी-नगला	अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर से हल्दी से मसजिद कालौनी से पंतनगर बड़ी मार्केट से छात्रावास से छोटी मार्केट से नगला से नगला बाईपास से गोल गेट से जवाहर नगर से शान्तिपुरी-2,3,4,5 चन्द्रपुरी से शांतिपुरी गेट वापस अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
12.	किच्छा लोकल मार्ग	किच्छा सिरौली से दरऊ चौराहा से आवास विकास से रोडवेज से मैन बाजार से बंडिया से बाईपास से मैन बाजार से गैस गोदाम रोड से बाजार से बंडिया से नहर से मैन बाजार से बाईपास चौराहा शनिमंदिर किशनपुर से वापस सिरौली किच्छा तक।
13.	गदरपुर	रुद्रपुर से जाफरपुर से महतोश से एनडीआरएफ से गदरपुर से झगडपुरी से सरदारनगर, गूलरभोज रोड से सकैनियां से वापस करतारपुर से गदरपुर लोकल वापस दुग्ध अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
14.	रुद्रपुर सिडकुल	रुद्रपुर अवशीतन केन्द्र से सिडकुल से पी०ए०सी० 31, 46 से मैट्रो पोलिस से ओमैक्स से मदकोटा से वापस अवशीतन केन्द्र